**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1187

उत्‍तर देने की तारीख: 20.12.2018

**अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति**

1187. कुमारी शैलजाः

 क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए कोई योजनाएं चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किए हैं कि जिन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है उनकी शिक्षा पूरी होने के बाद उन्हें नौकरी मिल जाए; और

(ङ) यदि हां, तो विशेष रूप से हरियाणा राज्य सहित नौकरी प्राप्त विद्यार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. सत्‍य पाल सिंह)**

(क) से (ड.): सरकार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को उच्‍चतर शिक्षा हेतु निम्‍न योजनाओं के माध्‍यम से छात्रवृत्‍ति प्रदान करती है:

1. **अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्‍ट-मैट्रिक छात्रवृत्‍ति योजना**

योजना के तहत, उच्‍चतर शिक्षा में अध्‍ययन के लिए अनुसूचित जाति के अर्हताप्राप्‍त विद्यार्थियों को ट्यूशन और अनिवार्य गैर-वापसी शुल्‍क तथा रख-रखाव छात्रवृत्‍ति भत्‍ता प्रदान किया जात है। अनुसूचित जाति के वे विद्यार्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रूपये तक है, छात्रवृत्‍ति के लिए पात्र हैं।

1. **अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए उच्‍च श्रेणी शिक्षा की केन्‍द्रीय क्षेत्र योजना**

इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति के पात्र विद्यार्थी, जो 12वीं कक्षा के बाद 220 उच्‍च श्रेणी संस्‍थाओं जैसे भारतीय प्रबंधन संस्‍थान (आईआईएम), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्‍थान (आईआईटी), राष्‍ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्‍थान (एनआईटी), राष्‍ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्‍थान (एनआईएफटी), राष्‍ट्रीय विधि विश्‍वविद्यालय (एनएलयू), प्रतिष्‍ठित चिकित्‍सा/विधि और अन्‍य उत्‍कृष्‍टता संस्‍थान आदि में अध्‍ययन कर रहें हैं, को पूरी वित्‍तीय सहायता प्रदान की जाती है। 6 लाख रूपये तक प्रतिवर्ष की पारिवारिक आय वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थी छात्रवृत्‍ति हेतु पात्र हैं।

1. **अनुसूचित जाति हेतु राष्‍ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्‍ति योजना**

योजना के तहत चयनित अनुसूचित जाति, डि-नोटिफाइड, खानाबदोश, अर्ध खानाबदोश जनजाति, भूमिहीन कृषि श्रमिक और पारंपरिक शिल्‍पकार विद्यार्थियों को विदेश में अध्‍ययन के विशिष्‍ट क्षेत्र में स्‍नातकोत्‍तर स्‍तर पाठ्यक्रम और पीएच.डी कार्यक्रम हेतु सहायता प्रदान की जाती है। योजना का संचालन विदेश में भारतीय मिशन के माध्‍यम से किया जाता है।

1. **अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु राष्‍ट्रीय अध्‍येतावृत्‍ति योजना**

योजना के तहत, विश्‍वविद्यालयों, शोध संस्‍थाओं और वैज्ञानिक संस्‍थाओं में एम.फिल, पीएच.डी और समकक्ष शोध डिग्री हेतु अध्‍ययन के लिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को वित्‍तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के तहत, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 2000 शोध अध्‍येतावृत्‍ति (कनिष्‍ठ शोध अध्‍येतावृत्‍ति) प्रतिवर्ष प्रदान की जाती हैं।

वे विद्यार्थी जिन्‍हें उपर्युक्‍त योजना के तहत छात्रवृत्‍ति प्रदान की जाती है, का राज्‍यवार ब्‍यौरा **संलग्‍नक-।** में दिया गया है।

 इस योजना के तहत, उच्‍चतर शिक्षा पूरी करने के बाद विद्यार्थियों का प्‍लेसमेंट सुनिश्‍चित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

**\*\*\*\*\***

|  |
| --- |
| **संलग्‍नक-I** |
|  **वर्ष 2017-18 के दौरान अनुसूचित जाति छात्रों की छात्रवृत्‍ति/अध्‍येतावृत्‍ति योजनाओं से लाभान्‍वित छात्रों का राज्‍य-वार विवरण** |
| **क्र.सं.** | **राज्‍य** |  **अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्‍ट-मैट्रिक छात्रवृत्‍ति योजना** | **अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए उच्‍च श्रेणी शिक्षा की केन्‍द्रीय क्षेत्र योजना\*** | **अनुसूचित जाति हेतु राष्‍ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्‍ति योजना** |  **अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु राष्‍ट्रीय अध्‍येतावृत्‍ति योजना**  |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 658534 | 1883 | 6 | 582 |
| 2 | असम | 23874 | 0 | 78 |
| 3 | बिहार | 89213 | 0 | 242 |
| 4 | चंडीगढ़ | 2203 | 0 | 11 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 95565 | 1 | 75 |
| 6 | दमन और दीव | 0 | 0 | 0 |
| 7 | दिल्ली | 20100 | 10 | 97 |
| 8 | गोवा | 280 | 0 | 3 |
| 9 | गुजरात | 131169 | 1 | 113 |
| 10 | हरियाणा | 123062 | 2 | 207 |
| 11 | हिमाचल प्रदेश | 33057 | 0 | 68 |
| 12 | जम्मू-कश्मीर | 11040 | 0 | 45 |
| 13 | झारखंड | 20177 | 0 | 44 |
| 14 | कर्नाटक | 322606 | 10 | 560 |
| 15 | केरल | 132286 | 3 | 152 |
| 16 | मध्य प्रदेश | 361268 | 9 | 277 |
| 17 | महाराष्ट्र | 540993 | 9 | 533 |
| 18 | मणिपुर | 6566 | 2 | 24 |
| 19 | मेघालय | 0 | 0 | 1 |
| 20 | मिजोरम | 0 | 0 | 2 |
| 21 | नगालैंड | 0 | 0 | 1 |
| 22 | ओडिशा | 202125 | 3 | 230 |
| 23 | पुडुचेरी | 6241 | 0 | 11 |
| 24 | पंजाब | 274730 | 7 | 2 |
| 25 | राजस्थान | 191184 | 3 | 4 |
| 26 | सिक्किम | 361 | 0 | 4 |
| 27 | तमिलनाडु | 761114 | 6 | 49 |
| 28 | तेलंगाना | 212706 | 6 | 268 |
| 29 | त्रिपुरा | 14652 | 0 | 21 |
| 30 | उत्तर प्रदेश | 1238139 | 14 | 1708 |
| 31 | उत्तराखंड | 69504 | 0 | 56 |
| 32 | पश्चिम बंगाल | 382795 | 4 | 681 |
| **\* अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए उच्‍च श्रेणी शिक्षा की केन्‍द्रीय क्षेत्र योजना के राज्‍यवार आंकड़ें उपलब्‍ध नहीं हैं।** |
|  |  |  |  |  |  |

**\*\*\*\*\***